न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 231/2013

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. भंवरदान वल्द धन्नाराम
   जाति-राव, गांव-लाम्बियां
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. सत्यानारायण वल्द धन्नाराम
2. जगदीश वल्द धन्नाराम
3. नोरतमल वल्द धन्नाराम
4. राणीदान वल्द पूनाराम
5. नेमीचन्द वल्द पूनाराम
6. ईश्वरदान वल्द केसुदान
7. गोविन्द वल्द केसुदान
   जातियान-राव, गांव-लाम्बियां
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)
8. तहसीलदारजी जैतारण
   उप पंजीयन अधिकारी
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.29.08.2013

उपस्थितः- 1. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 15/07/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-गांगलिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 98 रकबा 20-05 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं तथा ग्राम-लाम्बिया, पटवार हल्का-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में ख.नं. 1012/8 रकबा 5 बिधा 15 बिस्वा किस्म बा.दो व ख.नं. 1014 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा किस्म बा0दो0 की आई हुई है। नकल जमाबंदी ग्राम गांगलिया व लाम्बिया कि सम्वत 2065 से 2068 तक कि दिनांक 13/06/93 की दावे के साथे पेश की है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की आराजी को दावे में मुतदाविया आराजी से सम्बोधित किया जायेगा। उपर्युक्त (above mentioned) फिकरा में मुतदाविया आराजी मिताक्षरा विधि से शासित हिन्दु मुस्तरका खानदान की संयुक्त पुश्तैनी है। जिसका मुदई स्वयं उसके पिता, पितामह उपयोग एवं उपभोग चिरकाल से बिना किसी व्यवधान के करते आ रहे हैं। एक मात्र कृषि भूमि ही मुहई एवं उसके परिवार की आजिविका का आधार है। मौके पर कातिसरा की फसल बोई हुई है। मुदई का नितान्त कब्जा काश्त भी है। मुदई ग्राम सेवा सहकारी समिति से कृषि कार्य हेतु ऋण लेने गया जो बिनाय ब्याज मिलता है तब उसे पता चला कि वर्तमान राजस्व अभिलेख में उसका स्वयं का नाम का इन्द्राज उक्त वर्णित खसरा नम्बर की आराजी में नहीं हैं, तो बिनायदावा दिनांक 13/06/13 को बमुकाम-लाम्बिया, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ। मुदई का सजरा खानदान मूल पुरुष जेठदान के पुत्रगण धन्नाराम, पुनाराम, केसुदान हुए तथा धन्नाराम के वारिसान भंवरदान, सत्यनारायण, जगदीश एवं नोरतमल हुए। पुनाराम (फौत) के वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

राणीदान व नेमीचन्द हुए तथा केसुदान (फौत) के वारिसान रूकी (फौत), ईश्वरदान व गोविन्द हुए। मुदई के पिता धन्नाराम वल्द जेठुराम की मृत्यु होने के बाद फौतेदगी म्यूटेशन में ग्राम– गांगलिया दिनांक 14/06/64 व फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 263 दिनांक 03/06/68 सरपंच ग्राम पंचायत–लाम्बिया द्वारा गलत भरा गया, जो काबिल मन्सुख है। विरासत के दाखिल खारिज रजिस्टर में मुदई का नाम धन्नाराम के वारिसान के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नही किया अर्थात भवंरदान वल्द धन्नाराम के नाम का इन्द्राज दोनो म्युटेशन में नही है। उक्त वर्णित मुतदाविया आराजी में खातेदार काश्त कार घोषित होकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम का इन्द्राज अंकन हेतु कनूनन दावा पेश किया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में फसल बौ रखी है। मुदायलधन सं. 4 से 7 को राजस्व अभिलेख में मुदई का नाम का इन्द्राज कराने हेतु निवेदन किया तो मुहायलहान सं. 1 से 7 ने मना कर दिया एंव कब्जे काश्त से बेदखली की धमकी दी एवं मुतदाविया आराजी का अन्य हस्तान्तरण की धमकी दी, जिससे multicity of proceedings होगी। मुदई को खर्चे से जैर बार होना पडेगा। अतः मुदई के हक में मुहायलहा सं. 1 से 7 तक के खिलाफ, उनके वारीसान, नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट के खिलाफ मुदई कि उक्त वर्णित मुतदाविया आराजी में मजाहमत बेजा पैदा न करे । में दखल दाजी एंव दस्तदांजी एंव दस्तंदाजी करने न अन्य हस्तान्तरण करे जरिये हुक्म इम्तनाई दवामी से रोका जावे। उक्त दावा श्रीमान के क्षैत्राधिकार का है एवं अन्दर म्याद पेश किया है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–लाम्बिया में पेश हुई। पत्रावली की अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा दिनांक 16/03/2015 को पेश हुआ। राजीनामा तस्दीक किया गया, जो सामिल मिसल किया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश करने पर वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा के अनुसार डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–गांगलिया, पटवार हल्का–लाम्बिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 98 रकबा 20–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं तथा ग्राम–लाम्बिया, पटवार हल्का–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में ख.नं. 1012/8 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा किस्म बा.दो व ख.नं. 1014 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा किस्म बा0दो0 की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 15/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–लाम्बिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. भंवरदान वल्द धन्नाराम
जाति–राव, गांव–लाम्बियां
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. सत्यानाख्यण वल्द धन्नाराम
2. जगदीश वल्द धन्नाराम
3. नोरतमल वल्द धन्नाराम
4. राणीदान वल्द पूनाराम
5. नेमीचन्द वल्द पूनाराम
6. ईश्वरदान वल्द केसुदान
7. गोविन्द वल्द केसुदान
जातियान–राव, गांव–लाम्बियां
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)
8. तहसीलदारजी जैतारण
उप पंजीयन अधिकारी
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:231/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–......... व हाजरी श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री करणीदान चारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा के अनुसार डिक्री बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–गांगलिया, पटवार हल्का–लाम्बिया, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 98 रकबा 20–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं तथा ग्राम–लाम्बिया, पटवार हल्का–लाम्बिया, तहसील–जैतारण में ख.नं. 1012/8 रकबा 5 बिधा 15 बिस्वा किस्म बा.दो व ख.नं. 1014 रकबा 5 बिघा 15 बिस्वा किस्म बा0दो0 की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के साथ वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	02 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	03 – 00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	10 – 00	मिजानः–	02

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner